

21/10

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी उपस्थित नहीं।
पत्रावली से सम्बंधित दावा अदम्य पैरवी, अदम्य टाजरी
में धारिज किया जा चुका है। अतः पत्रावली इसी
स्टेज पर धारिज की जाती है। पत्रावली केस ह
शुभार डोकन काद वरतीब, वकमील दारिबन इफर
मे।

धर

सहायक कलक्टर,
वीकानेर शहर

